उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या–80/2019

यूको बैंक, पतरातू

बनाम्

मो० बसारत एवं अन्य

देश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
31/12/2021	–:: आदेश ::–	

अपीलार्थी प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–यूको बैंक, पतरातू द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् आवेदन दायर किया गया है। दायर आवेदन में उधारकर्त्ता मो० बसारत वगै० को विपक्षी बनाया गया है।

मौजा–उचरिंगा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ अंतर्गत खाता नं0–36, प्लॉट नं0–246, रकवा–26 डिसमिल भूमि एवं खाता नं०–11, प्लॉट संख्या–731, रकवा–07 डिसमिल कुल जमा रकवा–33 डिसमिल भूमि पर बनी संरचना का दखल लेने हेतु अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है। दायर वाद के आलोक में वाद अंगीकृत करते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सम्बन्धित अंचल अधिकारी, पतरातू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद दायर करने की अगली तिथि से अपीलार्थी (प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–यूको बैंक, पतरातू) लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त दायर वाद के निष्पादन के निमित्त अपीलार्थी की रूचि नहीं है। अतः अपीलार्थी की उदासीनता को देखते हुए दायर आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.01.08 12:14:04 +05:30
Location: 192.168.0.9

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
31.12.2021
उपायुक्त,

माधवी मिश्रा
31.12.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।